न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी (छ.ग.)

रा.प्र.क्र.. अ–62 वर्ष 2024–25

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग अं.चौकी
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी .... आवेदक

विरूद्ध

छ.ग. शासन .... अनावेदक

//आदेश//

आवेदक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग अं.चौकी, जिला मोहला मानपुर अं.चौकी के पत्र क्रमांक 337/अं.चौकी/2025 दिनांक 08/05/2025 द्वारा विश्राम गृह अं.चौकी में सागौन के सुखे पेड़ की कटाई की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

02. प्रकरण अ–62 में पंजीबद्ध किया गया है।

03. प्रकरण में वृक्षों के विदोहन के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी अं.चौकी एवं राजस्व निरीक्षक अं.चौकी से संयुक्त स्थल कर जांच प्रतिवेदन में पंचनामा रिपोर्ट लिया गया। अपने प्रतिवेदन में खसरा नं. 504 रकबा 0.332 हे0 विश्राम गृह अं.चौकी में 05 नग सागौन वृक्ष मृत एवं सुखा हुआ अवस्था में है तथा आंधी तुफान में कभी भी गिरने की संभावना होना प्रतिवेदित किया गया है।

04. प्रकरण में छ.ग. राजस्व (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 24 नवम्बर 2022 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.11.2022 की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–03/सात–1/2022 एवं छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) एवं (बैंसठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की विनियमित या रोकने संबंधी नियम अधिसूचना क्रमांक एफ–2–8–सात–शा–8–94 दिनांक 29.07.1997 तथा शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में ईमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में नियम अधिसूचना क्रमांक 218–6477–सात नियम दिनांक 06.01.1960 को अतिष्ठित किये गये नियम 03 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग अं.चौकी जिला मोहला मानपुर अं.चौकी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अं.चौकी विश्राम गृह स्थित भूमि खसरा नं. 504 रकबा 0.332 हे. शासकीय भूमि पर लगे 05 नग सागौन वृक्ष को संहिता की धारा 240 के तहत् लोकहित में काटे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रभावित वृक्षों को काटे जाने की अपेक्षा यदि संभव हो तो अन्यंत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जावें।

2. काटे जाने वाले वृक्षों का यदि कोई मुआवजा हो तो वृक्ष काटने के पूर्व संबंधित भूमिस्वामी को विधिवत भुगतान की कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा।
3. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
4. काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना संख्या में (कम से कम 5 फीट की ऊंचाई वाले) वृक्षा रोपण चयनित स्थान पर किया जावेगा तथा वृक्ष कटाई के साथ साथ चिन्हांकित स्थल पर वृक्षारोपण कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग उपसंभाग बालोद, द्वारा कराया जावेगा।
5. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग अं.चौकी जिला मोहला मानपुर अं.चौकी द्वारा की जावेगी।
6. काटे गये वृक्ष के काष्ठ को वन विभाग मोहला अपने निकटतम डिपो में परिवहन कर विक्रय पश्चात प्राप्त धन राशि राजस्व मद में जमा करावा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई वन पैदावार नहीं काटी जायेगी न ही ले जाई जाएगी।
8. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षों को न काटा जायें।
9. वृक्षों की कटाई में वन विभाग, विघुत मण्डल एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से किया जावें तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहेगें।
10. उक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मोहला
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी